प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 21 **फरवरी, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर एवं नेहरू चिकित्सालय, गोरखपुर हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/783, दिनॉक 09.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर एवं नेहरू चिकित्सालय, गोरखपुर हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 1270.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-43-राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि **रू0 660.00 लाख एवं** लेखाशीर्षक-2210-01-110-15-09-नेहरू चिकित्सालय , गोरखपुर हेतु 35.00 लाख, इस प्रकार **कुल रू0 695.00 लाख (रू0 छः करोड़ पन्चानवे लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210011101509 (नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210011101509 नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर	39 औषधि तथा रसायन	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
2	031	2210011101509 नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर	41 भोजन व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050343 (मेडिकल कालेज गोरखपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050343 मेडिकल कालेज गोरखपुर	29 अनुरक्षण	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
2	031	2210051050343 मेडिकल कालेज गोरखपुर	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	031	2210051050343 मेडिकल कालेज गोरखपुर	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
	कुल			**6,60,00,000 (रुपये छह करोड़ साठ लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महायोग	6,95,00,000 (रुपये छह करोड़ पंचानबे लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 20-02-2024 15:49:58
Reason: Approved

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2718877/2024/ -1

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2023-24-71-1002-099-147-2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210011101509 (नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर (	01 (वेतन(	27,86,00,000 रुपये सत्ताईस करोड़ छियासी लाख मात्र	8,50,00,000 रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र	- 8,50,00,000 रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र	19,36,00,000	2023 - 2024
031	2210011101509 (नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर (	03 (मंहगाई भत्ता(	12,53,70,000 रुपये बारह करोड़ तिरपन लाख सत्तर हजार मात्र	4,20,00,000 रुपये चार करोड़ बीस लाख मात्र	- 4,20,00,000 रुपये चार करोड़ बीस लाख मात्र	8,33,70,000	2023 - 2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेव साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

031	2210051050343 (मेडिकल कालेज गोरखपुर (	29 (अनुरक्षण(	1,20,00,000 रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	2,70,00,000	2023-2024
031	2210051050343 (मेडिकल कालेज गोरखपुर (	49 (चिकित्सा व्यय(	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	30,00,000	2023-2024
031	2210011101509 (नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर (	39 (औषधि तथा रसायन(	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	25,000,00 रुपये पच्चीस लाख मात्र	20,25,00,000	2023-2024
031	2210011101509 (नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर (	41 (भोजन व्यय(	1,10,00,000 रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	1,20,00,000	2023-2024
031	2210051050343 (मेडिकल कालेज गोरखपुर (	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	25,00,00,000	2023-2024

कृपया उपर्युक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर के पत्र दिनांक 05.01.2024 द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में विभिन्न मानक मदों में उक्तानुसार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1270.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर के पत्र दिनांक 05.01.2024 के माध्यम से अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में नेहरू चिकित्सालय, गोरखपुर में चिकित्सालय में आगामी माहों की औषधियों, रसायनों एवं गैस के बीजकों के भुगतान हेतु मानक मद- 39-औषधि तथा रसायन हेतु रू0 25.00 लाख, आगामी माहों के भोजन के बीजकों के भुगतान हेतु मानक मद-41-भोजन व्यय हेतु रू0 10.00 लाख, इस प्रकार नेहरू चिकित्सालय गोरखपुर में लम्बित बीजकों एवं आगामी माहों की आवश्यकता के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दृष्टिगत रू0 35.00 लाख तथा मेडिकल कालेज गोरखपुर में चिकित्सालय के विभिन्न जीर्ण-शीर्ण वार्डो की मरम्मत, रंगाई पुताई तथा अग्नि से क्षतिग्रस्त इमरजेंसी वार्ड नं0 14 की पुर्नःस्थापना हेतु मानक मद-29-अनुरक्षण में रू0 150.00 लाख, कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लम्बित चिकित्सा व्यय देयकों तथा आगामी माहों की आवश्यकता के दृष्टिगत मानक मद-49-चिकित्सा व्यय में रू0 10.00 लाख, आउटसोर्सिंग (हाउस कीपिंग सहित) माह फरवरी 2024 तक के मानदेय भुगतान हेतु मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान हेतु रू0 500.00 लाख, इस प्रकार मेडिकल कालेज गोरखपुर में लम्बित बीजकों एवं आगामी माहों की आवश्यकता के दृष्टिगत रू0 660.00 लाख, तथा आगामी माह की आवश्यकता के दृष्टिगत विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 695.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्याः आर ई-बजट-1-409-2023-24, दिनांक 09 फरवरी, 2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

बृजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।